SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 285 OR 286 OF THE BNSS, 2023

In the court of **पन्ना नागेश** Magistrate **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा म.प्र.**

Case No..**sum 993/2026**.....of ..... Complaint or report made on

Name and address of the complaint म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र सिविल लाइन्स

Name, parentage, caste and address of accused

राजू सिंह तनय स्व. गणेश सिंह, आयु–50 वर्ष, निवासी झिरिया, थाना सिविल लाइन्स, जिला रीवा (म.प्र.)

The offence complained of, and date of, its alleged commission

आपके विरूद्ध यह अभियोग है कि आपने घटना दिनांक 06.07.2026 को समय 09:40 बजे सुबह, स्थान झिरिया अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल में, रीवा अंतर्गत आरक्षी केन्द्र सिविल लाइन्स, जिला रीवा में सार्वजनिक स्थान पर स्वयं शराब पीते हुए अथवा अन्य व्यक्तियों को पिलाते हुये पाये गये।

आपका उक्त कृत्य धारा 36(सी) आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। अत : प्रकट करो कि क्या आप दोषी होने का अभिवाक करते हो अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो।

पन्ना नागेश
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रीवा, म.प्र.

The plea of the accused and his examination (if any)-

अभियुक्त को अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त का अभिवाक् है कि :–

पन्ना नागेश
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रीवा म.प्र.

The offence proved, if any, and in case under clause, (d) Clause (e) Clause (f) pt clause (g),of Sub- section (I) of Section 260 the value of the property in respect of whi बी the offence has beencommitted.

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 10.08.2026 को घोषित किया)

1— अभियुक्त राजू सिंह द्वारा अपराध स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया गया। अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 36(सी) आबकारी अधिनियम, 1915 के तहत दण्डनीय अपराध में सिद्धदोष पाये जाने से **दोषसिद्ध** किया जाता है।

2— अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिए जाने के लिए विचार किया गया, किन्तु प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

3— अभियुक्त को स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर एवं अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया गया है किन्तु अभियोजन द्वारा यह प्रकट नहीं किया गया है कि अभियुक्त पूर्व से दोषसिद्ध है। ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त को धारा 36(सी) आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 300/—रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि जमा न करने की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

4— प्रकरण में जप्तशुदा 1 नग प्लास्टिक डिस्पोजल, 2 नग पानी का पाउच, 1 पैकेट खुली हुई नमकीन को नष्ट किया जाये एवं जप्तशुदा 180 एम.एल. देशी प्लेन मदिरा जो आधी खाली है, को विधिवत् विनष्ट किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित व मुद्रांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(पन्ना नागेश)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रीवा म.प्र.

(पन्ना नागेश)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रीवा म.प्र.

PANNA NAGESH

Digitally signed by PANNA NAGESH
Date: 2026.08.10 15:49:27 +0530